चौमूं में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थर और रैलिंग हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव

शुक्रवार अलसुबह 3 बजे हुआ हमला, उपद्रवियों के पथराव में पुलिस के छह जवान घायल

जयपुर (कासं)। जयपुर जिले के चौमूं कस्बे के बस स्टैण्ड के पास शुक्रवार अलसुबह करीब 3 बजे कालन्द्री मस्जिद से जुड़े विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान उपद्रवियों ने मौके पर तैनात पुलिस जाब्ते पर पथराव कर दिया, जिसमें करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार शाम को इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस-प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान समुदाय की ओर से स्वयं पत्थर हटाने पर सहमति बनी थी। पत्थर हटाए जाने के बाद मस्जिद के पास लोहे की रैलिंग लगाकर बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

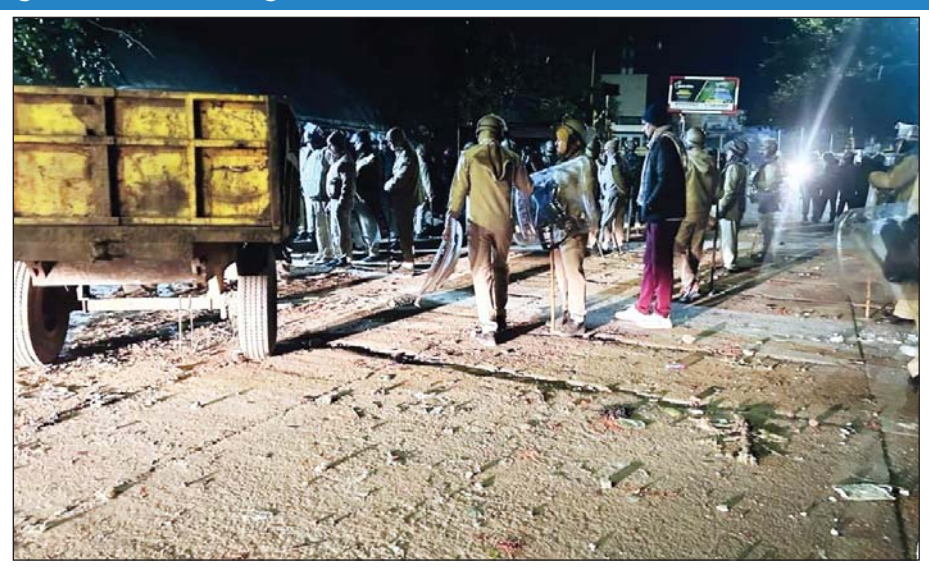

जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में शुक्रवार अलसुबह अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों द्वारा पथराव करने से माहौल ने हिंसक रूप ले लिया। मौके पर बिगड़े हालातों को काबू करने के लिए चौमूं, हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा सहित आसपास के कई थानों से अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। फोटो-राष्ट्रदूत

चार थानों से बुलाया गया अतिरिक्त जाप्ता

बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास रैलिंग लगाकर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरु होते ही समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने विरोध करते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को चौमूं, हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा सहित आसपास के कई थानों से अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद तथा एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हालात का जायजा लेकर स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। विवाद होने के बाद मस्जित व इसके आसपास प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात कर स्थित को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मस्जिद व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरु कर दिया है। जिससे उपद्रवियों की पहचान की जा सकें। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- **बताया जा रहा है गुरूवार शाम को पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई थी वार्ता, परंतु इसके बावजूद रैलिंग लगाने का काम शुरू हो गया था। जिसे रूकवाने पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया।**

50 उपद्रवी पुलिस हिरासत में

उपद्रव होने के बाद पुलिस प्रशासन ने 500 से अधिक पुलिस के जवानों को इलाके में चप्पे -चप्पे की निगरानी करने के लिए तैनात किया है। वही विश्वकर्मा,दौलतपुरा, हरमाड़ा थाना पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है। पुलिस की विशेष टीम ने घरों में दबिश देकर 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है।

जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रहीं है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स, वज्र वाहन, आरएसी, पुलिस लाइन जयपुर की टीमों को भी मस्जिद के पास तैनात किया गया है।

मुख्य बाजार हुए बंद

कस्बे में फेंले विवाद के बाद चौमूं और उसके आसपास के इलाकों में मुख्य बाजार को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चौमूं के मुख्य बाजार सहित रींगस रोड, मोरीजा रोड़,थाना मोड सहित आसपास के इलाकों के मुख्य बाजार बंद है।

पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद

रैलिंग और बाउंड्री वॉल के निर्माण के बाद उपजे विवाद के बाद इलाके में किसी भी तरह की अफवाह नहीं फेले इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चौमूं में मोबाइल इंटरनेट सहित सोशल मीडिया सेवाओं को अस्थाई रुप से बंद कर दिया है।

संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 26 दिसंबर सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर शाम 7 बजे तक चौमूं क्षेत्र में 2, 3, 4, 5 मोबाइल इंटरनेट डेटा, बल्क एसएमएस, व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर (एक्स) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं निलंबित कर दी है।

जो आगामी आदेशों तक बंद रहेगी, हालांकि वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू रहेंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय राजस्थान लोक सुरक्षा (जन आपातकाल या लोक सुरक्षा) नियम-2017 के तहत लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि वर्तमान हालात में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलने की आशंका बनी हुई है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

उपद्रव में घायल पुलिसकर्मी

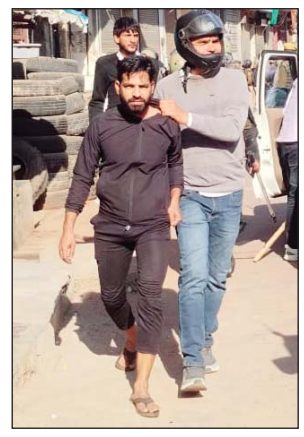

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया।

अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ नहीं होने देंगे छेड़छाड़ : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर दिए गए बयानों पर जमकर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो अरावली क्षेत्र में भाटा, रेता तक नहीं छोड़ा। किसने वर्ष 2002-03 और 2009-10 में अरावली की परिभाषा बदली? कितने पट्टे अरावली क्षेत्र में जारी किए? वे केवल झूठी बातें ही करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता हैं। हम सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) लेकर आए तो, इन्होंने हल्ला मचाया और अफवाह फैलाई। लेकिन हमारी सरकार ने इसे लागू किया।

विस्थापितों को पट्टे भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। वे एसआईआर पर भी प्रश्न उठाते हैं। क्या वे घुसपैठियों के समर्थक हैं? हम एक भी घुसपैठिएं को नहीं रहने देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ट्विट मास्टर बन रहे हैं। उनका जादू चल गया, और नहीं चलने वाला है। जो बोया है, वो काटना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'न खाउंगा और न खाने दूंगा' बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी ने खा लिया तो वापस भी आएगा।

- **भजनलाल शर्मा ने कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बताएं कि किसने बदली थी अरावली की परिभाषा?"**

अतिक्रमण और उपद्रवियों पर होगी कठोर क़ानूनी कार्रवाई : बेढ़म

जयपुर (कासं)। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जयपुर के चौमूं क्षेत्र में हुए अतिक्रमण एवं उपद्रव को मामले को लेकर शुक्रवार को शासन सचिवालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि चौमूं बस स्टैंड पर सड़क पर स्थापित स्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए गुरुवार को पुलिस प्रशासन और सम्बंधित पक्षों के बीच वार्ता हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों के बीच सउक़ के बीच बने हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सहमति बनी थी।

उन्होंने कहा कि गुरुवार देर रात कुछ उपद्रवियों द्वारा सड़क पर लोहे की रैलिंग लगाकर फिर से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा इस काम को रोके जाने पर पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाज़ी की गई।

जिसमें कई पुलिस कार्मिकों को चोट आई। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और लगातार उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।बेढ़म ने कहा कि उपद्रव करने वाले लोगों को वीडियो, फोटो और अन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है तथा नियमानुसार उनपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही पर विपक्ष ओछी राजनीती कर रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर अपनी राजनीती चमका रहे है।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई धर्म या जाती देखकर नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की अतिक्रमण हटाने की नीति पूरी तरह निष्पक्ष है और इसमें धर्म या जाति का कोई सवाल नहीं है।

- **चौमूं में अतिक्रमण को लेकर विवाद पर गृह राज्य मंत्री ने दिया बयान**
- **उन्होंने कहा कि "कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा उपद्रव को धार्मिक रंग देकर राजनीति कर रहे है।"**

राकेश शर्मा ने डी.आई.पी.आर. कमिश्नर का कार्यभार संभाला

जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव का कार्य भार ग्रहण किया। इस दौरान विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन शासन उप सचिव, डॉ. गोरधन लाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक पत्र पंजीयन, नर्बदा इन्दोरिया एवं विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

'विदेश यात्रा मूलभूत अधिकार'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान की ओर से दिए गए मूलभूत अधिकार में शामिल है। ऐसे में याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त रखना उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि वह इसके नवीनीकरण के बाद कोर्ट में जमा कराएगा और बिना अनुमति देश नहीं छोडेगा। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश चरण सिंह की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित अदालत की अनुमति के बिना विदेश गया, ऐसे में उसके इस कृत्य को उचित नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता जेल में रहा है और उसके परिवार के सदस्य विदेश में रह रहे हैं। ऐसे में उसे पासपोर्ट की जरूरत है। इसलिए पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को रद्द किया जाता है। याचिका में अधिवक्ता पीयूष नाग के अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। वहीं उसे अग्रिम जमानत इस शर्त पर मिली थी कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोडेगा।

साहिबजादों के बलिदान की गौरव गाथा प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। वीर बाल दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। यह प्रदर्शनी सिख धर्म के दसवें गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह एवं साहिबजादा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान, त्याग और शहादत को समर्पित रही। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संयुक्त रूप से किया तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा ाक गुरु गाावद ासिह जा क चारा साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रप्रेम, धर्मरक्षा और मानव मूल्यों की अमर मिसाल है। उन्होंने विशेष रूप से छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को स्मरण करते हुए बताया कि किस प्रकार अल्पायु में भी उन्होंने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर अपने धर्म और मूल्यों की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। माता गुजरी जी के त्याग और साहस को भी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।

- **साहिबजादों के बलिदान से राष्ट्रप्रेम और एकता का सशक्त संदेश : मदन राठौड़**

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा करते हुए कहा कि, साहिबजादों के बलिदान की गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान, इतिहास और गौरवगाथाओं से परिचित कराया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में हिंदू-सिख एकता पर बल देते हुए कहा कि दोनों धर्मों का मूल स्वरूप, मूल्य और राष्ट्रप्रेम की भावना समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब समाज धर्म या मजहब के आधार पर विभाजित होता है, तो राष्ट्र को गंभीर क्षित उठानी पड़ती है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों विशेषकर बांग्लादेश का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक समरसता की आवश्यकता पर जोर दिया। राठौड़ ने कहा कि साहिबजादों की शहादत युवा पीढ़ी को यह संदेश देती है कि राष्ट्रसेवा और धर्मरक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती। बहुत कम आयु में भी सच्चे मूल्यों, साहस और संकल्प के साथ अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ जा सकता है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टी. टी,प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी, जयपुर जिला भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अजयपाल जी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह,कार्यक्रम संयोजक आशीष चोपड़ा, सहसंयोजक ऋषिकेश मीणा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन कार्यक्रम सहसंयोजक प्रीति शर्मा ने किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजापार्क स्थित श्री गुरू सिंह सभा गुरूद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरूद्वारा में मत्था टेका तथा देश व प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए अरदास की। शर्मा ने इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी कौर की शहादत को समर्पित विशेष गुरमत समागम में संगत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षाकी बात आती है, गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी और उनके चारों साहिबजादों का नाम गर्व से लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म का पूरा इतिहास त्याग और बलिदान की गाथा से भरा हुआ है।गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना पूरा वंश न्योछावर कर दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की।